उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या– 1147/ग्यारह–9(1)/2008–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(208)–2021

लखनऊ :: दिनांक :: 04 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–5 सन् 2008) की धारा–4 की उप धारा–(4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची–चार में तारीख 05 नवम्बर, 2021 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उक्त अनुसूची में, क्रम संख्या 3 एवं 4(ग) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात :–

क्र0 सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
3	पेट्रोल	निर्माता या आयातकर्ता	19.36 प्रतिशत या रू0 14.85 प्रति लीटर, जो भी अधिक हो।
4(ग)	डीजल ऑयल जैसा कि यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट, डीजल ऑयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन एक्ट, 1939 में परिभाषित है, क्रम संख्या–4(क) एवं 4(ख) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	निर्माता या आयातकर्ता	17.08 प्रतिशत या रू0 10.41 प्रतिलीटर जो भी अधिक हो।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव